भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 309

बुधवार, 17 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग

***309. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को देश में भारतीय उद्योग, औद्योगिक प्रबंधन, ई-कॉमर्स तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने तथा कारोबार करने की सुगमता में सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीपीआईआईटी निवेश के पसंदीदा स्थलों की पहचान करने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए किसी जीआईएस-सक्षम डेटाबेस के सृजन पर कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या डीपीआईआईटी ऐसी औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) विकसित कर रहा है जो भूखंड-स्तरीय डेटा एवं भूमि से संबंधित अद्यतन सूचना की उपलब्धता के बारे में उसी समय जानकारी प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 17.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 309 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ, कार्य आवंटन (एओबी) नियमावली के अनुसार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) भारतीय उद्योग में उत्पादकता, औद्योगिक प्रबंधन, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) सहित केन्द्रीय सरकार स्तर पर औद्योगिक नीति के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। ऐसे नीतिगत उपायों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) से (च): सरकार ने संपूर्ण देश के क्लस्टर्स, पार्क, नोड्स, जोन आदि की औद्योगिक अवसरंचना संबंधी सूचना एकत्रित करने के लिए एक ओपन वेब पोर्टल औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) का विकास किया है। औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास एक राष्ट्रीय जीआईएस समर्थित लैंड बैंक के रूप में किया गया है, जिसमें आईएसएस पोर्टल के साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जीआईएस समर्थित औद्योगिक प्रणाली को एकीकृत किया गया है जिसे भारतीय औद्योगिक लैंड बैंक भी कहा जाता है। इसके लिए, सरकारी एजेंसियों को भूमि का विवरण अपलोड करने के लिए विशिष्ट यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है।

आईआईएस पोर्टल पर, कच्चे माल की उपलब्धता, कनेक्टिविटी के नोडल पॉइंट्स, आंतरिक सुविधाएँ और वन व ड्रेनेज के साथ-साथ प्राकृतिक भूभाग संबंधी जीआईएस लेयर सहित लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले लगभग 4000 औद्योगिक पार्कों की मैपिंग से संबंधित सूचना है।

अब तक भूमि उपलब्धता और भूखंड स्तर की सूचना, उसकी संपर्क सुविधा, बुनियादी सुविधाएं, अन्य उपलब्ध सुविधाएं और पार्क के प्राधिकारियों/ डेवलपर के संपर्क ब्यौरे संबंधी अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए 13 राज्यों की जीआईएस प्रणालियों को दो चरणों में आईआईएस के साथ जोड़ा गया है। यह सूचना वास्तविक समय के आधार पर विश्व में किसी भी स्थान पर निवेशकों के लिए उपलब्ध है ताकि उन्हें संसूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। औद्योगिक भूखंडो की भूखंड स्तर की सूचना - गतिविधि का क्षेत्र/ लाइन, भूखंड की उपलब्धता की स्थिति, भूखंड का आकार, संबंधित अधिकारी का संपर्क ब्यौरा आदि जीआईएस समर्थित है। अब इस सूचना को 13 राज्यों में फैले 4.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के 1539 औद्योगिक पार्कों के लिए वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया गया है। पोर्टल पर इन 1539 औद्योगिक

जोन/ पार्क/ क्लस्टर की मैप की गई भूमि का राज्य वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

निवेशक/ उपयोगकर्ता https://iis.ncog.gov.in/parks/login1 और 'एक्सप्लोर पार्क्स' टैब का उपयोग करके पोर्टल पर उपलब्ध सूचना को देख सकते हैं। निवेशकों/ उपयोगकर्ताओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए ऍन्ड्रायड और आईओएस स्टोर पर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की गयी है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 17.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 309 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निवेश प्रोत्साहन:

निवेश को आसान बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम स्तर की विनिर्माण अवसंरचना बनाने, व्यवसाय करने को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' पहल को 25 सितम्बर, 2014 में शुरू किया गया था। इसके अलावा, इस पहल का उद्देश्य निवेश हेतु अनुकूल परिवेश का निर्माण करना, आधुनिक व दक्षतापूर्ण अवसंरचना, विदेशी निवेश हेतु नए क्षेत्र शुरू करना और सकारात्मक सोच के माध्यम से सरकार तथा उद्योग के बीच भागीदारी बनाना है।

इसकी शुरुआत से, मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्रवाई योजना का समन्वय कर रहा है जबकि वाणिज्य विभाग सेवा क्षेत्रों का समन्वय कर रहा है।

भारत सरकार संभावित निवेशकों की पहचान करने के लिए निवेश सुविधा के अंतर्गत मेक इन इंडिया कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया बैनर के अंतर्गत देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम, शिखर सम्मेलन, रोड-शो तथा अन्य प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यकलापों के आयोजन हेतु विदेश में स्थित भारतीय मिशनों तथा राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। देश में एफडीआई को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए निवेश आउटरीच क्रियाकलाप किए जा रहे हैं।

हाल ही में, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं के अलावा कई कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कॉर्पोरेट कर में कटौती, एनबीएफसी और बैंकों की तरलता (लिक्विडिटी) संबंधी समस्याओं को कम करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय शामिल हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के जरिए वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को सहयोग, सहायता और निवेशक अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून, 2020 को सचिवों के

अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के गठन को अनुमोदित किया है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय से निवेश में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के गठन को भी अनुमोदित किया है तथा इससे घरेलू निवेश और एफडीआई अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए भारत में प्रक्रियाधीन निवेश योग्य परियोजनाओं में वृद्धि होगी।

ई- कॉमर्सः

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ई-कॉमर्स नीति के निर्माण और संबंधित मामलों सहित ई-कॉमर्स संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार है।

स्टार्टअप इंडियाः

स्टार्ट इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करके उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को शुरू किया गया। इस कार्य योजना में "सरलीकरण और सहायता", "निधीयन सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उदयोग- शिक्षा जगत की भागीदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित 19 कार्य मदें शामिल हैं।

ईज ऑफ डूईंग बिजनेसः

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर भारत में विनियामक माहौल में सुधार लाने और व्यवसाय करने को आसान बनाने के उद्देश्य से कई सुधार संबंधी उपाय किये हैं। विश्व बैंक की डूईंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2022 के लिए कार्य योजना संबंधी चिह्नित किए गए सभी संकेतक-वार सुधारों के साथ कार्यान्वयन की समय-सीमा तैयार की गई है और कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ राज्यों/ एजेंसियों को परिचालित किया गया है। शुरू की गई इन पहलों के परिणामस्वरूप, डीबीआर, 2019 की 77वीं रैंकिंग की तुलना में 14 रैंक से बढ़कर विश्व बैंक की वार्षिक डुईंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में भारत की रैंकिंग 63वीं हो गई है। इन सुधारों को जमीनी स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से, निर्धारित सुधार मानकों के कार्यान्वयन के आधार पर देश के सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा एक गतिशील सुधार कार्यक्रम का नेतृत्व किया जा रहा है। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित सुधारों को वास्तविक समय आधार पर ऑनलाइन पोर्टल (https://eodb.dipp.gov.in/) पर देखा जा सकता है।

राज्य सुधार कार्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2015, 2016, 2017-18 और 2019 के लिए सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया है। राज्य सुधार कार्य योजना, 2020 तैयार कर ली गई है और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित की गई है।

डीपीआईआईटी द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच एक व्यवस्थित कार्यक्रम चलाया गया है ताकि ऐसे अनुपालनों को पूरा अथवा कम किया जा सके जिनका व्यवसाय में लगने वाले समय और लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरफेस को ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध करना इस कार्यक्रम की मुख्य प्राथिमकताओं में से एक है। डीपीआईआईटी द्वारा 1 जनवरी, 2021 को एक विनियामक अनुपालन पोर्टल (https://eodbrcp.dipp.gov.in/) शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सभी केन्द्र और राज्य अनुपालनों की ऑनलाइन रिपोजटरी के रूप में कार्य करना और अनुपालनों को कम करने के लिए मंत्रालयों और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना है।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 17.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 309 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>लैंड बैंक प्रणाली के राज्य-वार आंकडों का आईआईएलबी पोर्टल में एकीकरण</u>

राज्य	आईआईएलबी पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़े	
	एकीकृत पार्क	मैप की गई कुल भूमि (हैक्टेयर)
1. ओडीशा	130	57,282.11
2. उत्तर प्रदेश	200	30,239.35
3. गुजरात	245	1,89,323.12
4. हरियाणा	30	13,043.39
5. गोवा	27	1,718.78
6. तेलंगाना	138	19,385.93
7. महाराष्ट्र	273	63,589.88
8. कर्नाटक	170	59,343.32
9. पंजाब	47	3,285.1
10. हिमाचल प्रदेश	62	961.8
11. उत्तराखंड	7	3,931.33
12. आंध्र प्रदेश	120	26,103.91
13. झारखंड	90	29,681.72
जीआईएस समर्थित कुल पार्क	**1,539**	**4,97,889.74**

*****